कानपुर नगर निगम

दिनांक 14.02.2019 दिन वृहस्पतिवार को सम्पन्न हुई

मा0 कार्यकारिणी समिति की बैठक का कार्यवृत्त

समय पूर्वान्ह 11.00 बजे

स्थानः नगर निगम समिति कक्ष,मोतीझील,कानपुर

कार्यालय सचिव
नगर निगम,कानपुर

पत्र संख्या :–डी/280/सचिव (न0नि0)/2018–19 दिनांक :– 07-03-2019

सेवा में,

मा0 श्री/श्रीमती/सुश्री.....

पार्षद वार्ड सं0...../पदेन सदस्य

महोदय/महोदया,

नगर निगम मा0 कार्यकारिणी समिति की दिनांक 14.02.2019 दिन वृहस्पतिवार को पूर्वान्ह 11.00 बजे सम्पन्न हुई, बैठक का कार्यवृत्त आपकी सेवा में संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नक :–

कार्यवृत्त पृष्ठ संख्या 01 से 20 तक।

07/03/19

सचिव
नगर निगम,कानपुर

प्रतिलिपि :–

1.नगर आयुक्त महोदय की सेवा में संज्ञानार्थ।
2.अपर नगर आयुक्त (प्रथम/द्वितीय) महोदय को सूचनार्थ।
3.समस्त विभागाध्यक्ष/विभागीय अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सचिव
नगर निगम,कानपुर

दिनांक 14.02.2019 को नगर निगम मुख्यालय, मोतीझील स्थित समिति कक्ष में सम्पन्न हुई कार्यकारिणी समिति की बैठक का कार्यवृत्त

उपस्थिति

1.	श्रीमती प्रमिला पाण्डेय	महापौर / सभापति
2.	श्री महेन्द्र पाण्डेय 'पप्पू'	सदस्य / उपसभापति
3.	श्री मो0 अमीम	सदस्य / पार्षद
4.	श्री जितेन्द्र	सदस्य / पार्षद
5.	श्रीमती रीता पासवान	सदस्य / पार्षद
6.	श्री लियाकत अली	सदस्य / पार्षद
7.	श्री जय प्रकाश पाल	सदस्य / पार्षद
8.	श्री अनूप कुमार शुक्ला	सदस्य / पार्षद
9.	श्री अवनीश खन्ना	सदस्य / पार्षद
10.	श्री अश्वनी कुमार चड्ढा	सदस्य / पार्षद
11.	श्री दिनेश तिवारी	सदस्य / पार्षद
12.	श्री हरि शंकर गुप्ता	सदस्य / पार्षद
13.	श्री हाजी सुहेल अहमद	सदस्य / पार्षद

अधिकारीगण

1.	श्री संतोष कुमार शर्मा	नगर आयुक्त
2.	श्री अमृतलाल बिन्द	अपर नगर आयुक्त प्रथम'
3.	श्री अरविन्द राय	अपर नगर आयुक्त 'द्वितीय'
4.	श्री रमेशचन्द्र निरंजन	मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी
5.	डॉ0 अमित सिंह गौर	नगर स्वास्थ्य अधिकारी
6.	डॉ0 ए0के0 सिंह	पशु चिकित्साधिकारी
7.	श्री अशोक कुमार भाटी	प्रभारी मुख्य अभियन्ता
8.	श्री संजय सिन्हा	महाप्रबन्धक 'जलकल'
9.	श्री ए0के0 त्रिवेदी	प्रभारी वित्त अधिकारी 'जलकल'

सर्वप्रथम सभापति ने बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुये कार्यकारिणी समिति की बैठक में उपस्थित नव निर्वाचित 06 सदस्यों का स्वागत करते हुये धन्यवाद् दिया साथ ही नगर आयुक्त को एजेण्डानुसार बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु निर्देशित किया।

नगर आयुक्त ने कार्यकारिणी समिति की बैठक में उपस्थित नवनिर्वाचित 06 सदस्यों को बधाई देते हुये सभी सदस्यों का स्वागत किया और कहा कि एजेण्डानुसार सर्वप्रथम नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 51 उपधारा 2 में प्राविधानित नियमों के तहत कार्यकारिणी समिति के उप सभापति का चुनाव किया जाना है। कृपया तद्नुसार सभी सदस्य अपना–अपना अभिमत देने का कष्ट करें।

ह0.....महापौर

सभापति ने कहा कि यदि आप सभी सहमत हो तो वरिष्ठ एवं अनुभवी श्री महेन्द्र पाण्डेय 'पप्पू' को कार्यकारिणी समिति के उप सभापति के रूप में मनोनीत कर दिया जाये, जिस पर सभी सदस्यों ने सहमति प्रदान की ।

..... **सर्वसम्मति से श्री महेन्द्र पाण्डेय 'पप्पू' को कार्यकारिणी समिति का उप सभापति चुने जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।**

तद्नुक्रम में सभापति, नगर आयुक्त एवं समिति कक्ष में उपस्थिति अधिकारियों द्वारा सर्वसम्मति से निर्वाचित उप सभापति श्री महेन्द्र पाण्डेय 'पप्पू' का माल्यार्पण करते हुये स्वागत किया।

नगर आयुक्त ने मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी को नगर निगम वित्तीय वर्ष 2019–20 के मूल बजट की प्रतियाँ समिति के सदस्यों को प्राप्त कराते हुये तद्नुसार सभी सदस्यों को बजट से अवगत कराने हेतु निर्देशित किया।

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी ने कहा कि माननीय सभापति जी, नव निर्वाचित माननीय उप सभापति जी,कार्यकारिणी के मा0 सदस्य गण, आप सभी विद्धतजनों के समक्ष नगर आयुक्त महोदय के मार्ग दर्शन तथा नगर निगम कानपुर के विभागाध्यक्षों से किये गये विचार विमर्श के पश्चात मै मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,नगर निगम कानपुर नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 146 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रस्तावित कुल आय 115535.70 लाख (1155 करोड़ 35 लाख 70 हजार) व प्रारम्भिक अवशेष रूपया 32732.13 लाख (327 करोड़ 32 लाख 13 हजार) कुल रूपया 148267.83 लाख (1482 करोड़ 67 लाख 83 हजार) के सापेक्ष कुल प्रस्तावित व्यय रूपया 125289.60 लाख (1252 करोड़ 89 लाख 60 हजार)अन्तिम अवशेष 22978.23 लाख (229 करोड़ 78 लाख 23 हजार) कुल रूपया 148267.83 लाख (1482 करोड़ 67 लाख 83 हजार) का मूल बज़ट तैयार कर प्रस्तुत कर रहा हू –

वित्तीय वर्ष 2019-20 का मूल बजट 148267.83 लाख (1482 करोड़ 67 लाख 83 हजार) कार्यकारिणी के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। जो नगर निगम कानपुर की तमाम वित्तीय परेशानियों के बावजूद गत वर्ष से 3003 .33 लाख (33 करोड 03 लाख 33 हजार) अधिक है। **खुदरा महंगाई जनवरी 2019 में और लुढकते हुये 2.05 फीसदी पर आ गयी है। पिछले साल से तुलना करे तेा महंगाई एक तिहाई रह गयी है।खुदरा महंगाई जनवरी 2018 में 5.07 फीसदी थी। केन्द्रीय सांख्यिकी विभाग (सीएसओ) ने मंगलवार दिनांक 12 फरवरी 2019 को ही यह आंकड़ा जारी किया है। दिसंबर 2018 मे महंगाई 2.19 फीसदी पर रही थी,जो डेढ़ साल के निचले स्तर पर थी। आरबीआई का अनुमान है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 की आखिरी तिमाही में खुदरा महंगाई 2.8 फीसदी के आस पास रह सकती है।** तात्पर्य यह है कि मंहगाई की दर में गिरावट के बावजूद भी हमने बजट की धनराशि में बढ़ोत्तरी कर कानपुर के विकास में अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की है।

2. महोदय आप सभी अवगत है कि राज्य वित्त आयोग से प्रतिमाह प्राप्त हाने वाली धनराशि (रू0 2120 लाख) नगर निगम की आवश्यकता को देखते हुये ऊँट के मुंह में जीरे की भाँति है। विगत तीन वर्षो की तुलनात्मक स्थिति से सुस्पष्ट है कि राज्य वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि लगातार कम हो रही है जबकि अधिष्ठान पर व्यय लगातार बढ़ रहा है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य वित्त आयोग से प्राप्त होने वाली धनराशि से हमने 34.00 करोड रूपये अधिष्ठान पर अधिक व्यय किया था तथा वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्य वित्त आयोग से प्राप्त होने वाली धनराशि से हमने 81.00 करोड रूपये अधिष्ठान पर अधिक व्यय किया है जो चालू वित्तीय वर्ष में फरवरी माह तक बढ़कर 145.00 करोड़ हो गया है तथा 31 मार्च तक कुल 155.00 करोड़ सम्भावित है।

(धनराशि करोड में)

वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्रतिमाह लगभग 900.00 लाख (09 करोड़) की धनराशि नगर निगम निधि से जोड़ते हुयें अधिकारियों/ कर्मचारियों को वेतन एवं पेंशन में भुगतान की जाती है। जिस कारण नगर निगम निधि से होने वाले विकास कार्यो पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है तथा चाहते हुये भी निगम नगर निगम निधि से विकास कार्य कराने में निगम असुविधा महसूस कर रहा है। अगर यही स्थिति रही तो न तो पूर्व में पूर्ण हुये कार्यो का भुगतान हो पायेगा और न ही नये कार्य हो पायेंगें और अंतत: नगर निगम की छवि धूमिल होगी। चौथी शताब्दी ई0 पूर्व के महान चिन्तक कौटिल्य ने अपने महान ग्रंथ अर्थशास्त्र में लिखा है कि अर्थ के बिना कोई राज्य चलना असभंव है। आय के अनुसार खर्च करना चाहिये। फिजूलखर्ची बर्बाद कर देगी। अत: आवश्यकता इस बात की है, कि हमे नगर निगम के राजस्व की वृद्धि में न केवल मिलजुल कर ठोस सामूहिक प्रयास करने होंगे बल्कि एक जुनून जगाना होगा क्योकि कहते है –

मंजिल यू ही नही मिलती दोस्त ,एक जुनून जगाना पड़ता है।
पूछां चिड़िया से घोसला कैसे बनता है ,बोली तिनका – तिनका उठाना पड़ता है।

बजट में प्रस्तुत आंकडे बताते है कि जनवरी 2019 तक सम्पत्ति कर से नगर निगम की वास्तविक आय 8265.58 लाख (82 करोड़ 65 लाख 58 हजार) ही हो सकी है जो मार्च तक लगभग 11500 लाख (115.00 करोड) सम्भावित है। इतनी धनराशि तो वेतन एवं पेंशन की प्रतिपूर्ति में ही खप जायेगी फिर विकास कार्य एवं अन्य आवश्यक व्यय कैसे होगें यह सोचने का विषय है। आने वाले वित्तीय वर्ष में मंहगाई भत्ता आदि की बढोत्तरी होने से अधिष्ठान व्यय बढना ही है। अत: उसी अनुपात में हमे अपने सम्पत्ति कर की वसूली में वृद्धि करनी होगी , अन्यथा कानपुर की भावी पीढी हमे कभी माफ नही करेगी। यहॉ हमें शायर मुज़फ्फर रज़मी की कुछ पंक्तियॉ याद आ रही है। उन्होने लिखा है –

कुछ ऐसे भी मंज़र है तारीख की नज़रो में ,
लम्हो ने खता की थी, सदियों ने सजा पायी है।

3 राज्य वित्त आयोग से प्राप्त होने वाली अपर्याप्त धनराशि तथा आवश्यकता के सापेक्ष कम वसूली की प्रकृति के दृष्टिगत आवश्यकता इस बात की है कि सड़क अनुरक्षण ,नाला/नाली अनुरक्षण जैसे बड़े कामो को 14 वां वित्त आयोग की धनराशि से कराने को प्राथमिकता दी जाये इसी कारण आगामी वित्तीय वर्ष के मूल बज़ट में चालू वित्तीय वर्ष से उक्त मदो में क्रमश: रूपया 5.0 करोड़ व रूपया 1.5 करोड़ कम की गयी है तथा नगर निगम की वर्तमान आवश्यकता जहरीली प्राण वायु की गुणवत्ता में सुधार हेतु उद्यानों का रख रखाव /वृक्षारोपड़ /हरित क्षेत्र के विकास हेतु चालू वित्तीय वर्ष के प्राविधानित 3.0 करोड़ के अनुमानित बज़ट को बढ़ाकर 10.00 करोड़ किया गया है। इसी तरह स्वास्थ्य गतिविधियों को बढावा देने हेतु खेल के मैदानो /क्रीड़ा स्थलों के रख रखाव एवं खेल कूद गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु चालू वित्तीय वर्ष की प्राविधानित धनराशि रूपया 25.00 लाख को बढ़ा कर अगामी वित्तीय वर्ष में रूपया 1.00 करोड़ प्रस्तावित है। आवारा पशुओ की बढती समस्या को दृष्टिगत रखते हुये कान्हा गौशाला एवं बे-सहारा पशु आश्रय योजना का एक नया तखमीना बनाकर अगामी वित्तीय वर्ष में रूपया 10.00 करोड़ व्यय किया जाना प्रस्तावित है। स्वच्छ सर्वेक्षण की गाइड लाइन्स के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत कार्यरत संविदा/आउटसोर्स कर्मचारियों के वेतन तथा इस कार्य में लगाये गये वाहनों के रख रखाव एवं ईधन का प्रथक से हिसाब रखने हेतु नये तखमीनों का सृजन किया गया है।

नगर निगम की लम्बित देयताओं के दृष्टिगत करों से आय का लक्ष्य चालू वित्तीय वर्ष की तुलना में अगामी वित्तीय वर्ष हेतु 13.00 करोड़ अधिक प्रस्तावित है जो (168 करोड़ 01 लाख 50 हजार) व्यवहारिक लक्ष्य से बहुत कम है आवश्यकताओ के दृष्टिगत हमें इस लक्ष्य के पार जाना होगा। बज़ट में आय का लक्ष्य बढाने का प्रभाव व्यय पक्ष पर पड़ना स्वाभाविक था इसलिये बज़ट प्राविधान अधिक न बढाते हुये अतिरिक्त आय से लम्बित देयताओं की प्रतिपूर्ति का लक्ष्य रखा गया है।

4 वित्तीय परेशानियों के वाबजूद जहॉ प्रदेश के अन्य नगर निगमों में कई कई माह से वेतन एवं पेंशन के भुगतान लम्बित होने के कारण अधिकारियों/कर्मचारियों में असतोष व्याप्त हो रहा है वहीं हमें यह सूचित करने में हर्ष हो रहा है कि अभी तक नगर निगम कानपुर में ऐसी कोई विषम स्थिति उत्पन्न नही होने दी गयी है और आगे भी ससमय अधिकारियों/कर्मचारियों के देय भुगतान कर नगर निगम कानपुर का वातावरण सौहार्दपूर्ण बनायें रखने का पूरा प्रयास किया जायेगा। लेकिन हमे इस सच्चाई से भी मुंह नही फेर लेना है कि फिलहाल हमारी सारी ऊर्जा वेतन एवं पेशंन की प्रतिपूर्ति कराने मे ही खर्च हो रही है।

तकाज़ा है वक्त का कि तूफान से जूझो
कहॉ तक चलोगे किनारे किनारे

5. 14वे वित्त आयोग के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्राप्त कुल धनराशि 9697.66 लाख (96 करोड 97 लाख 66 हजार) के दृष्टिगत अगामी वित्तीय वर्ष में रूपया 15000.00 लाख (150 करोड़) विकास कार्य हेतु व्यय किये जाने का बजट अनुमान तैयार किया गया है। अवस्थापना निधि में भी वर्तमान वित्तीय वर्ष में कुल प्राप्त धनराशि 987.40 लाख (9 करोड़ 87 लाख 40 हजार) के दृष्टिगत अगामी वित्तीय वर्ष में रूपया 3000.00 लाख (30 करोड़) विकास कार्य हेतु व्यय किये जाने का बज़ट अनुमान तैयार किया गया है ताकि बडे कार्य यथा सम्भव इन मदों से सम्पादित हो सके तथा निधि पर अनावश्यक व्यय भार न पड़े। जन सामान्य के हित में विकास कार्यो की गंगा बहती रहे जिसके पवित्र जल से अभिसिचिंत

जन सामान्य की दुआओं से नगर निगम पूर्व की भॉति प्रगति के पथ पर अग्रसर रहते हुये न केवल राज्य में बल्कि देश में भी अपना परचम फहरा सके। आप सभी महानुभावों की तरफ से —

हमारा वादा है ,हर घर को जगमगायेगें ,
दियों की लौ को, हवाओं से हम बचायेंगें।
स्वर्ग उतरेगा एक रोज़, कानपुर की धरती पर ,
जो कोई कर नही पाया, वह कर दिखायेगें

6. इन्ही विशेषताओं के साथ नगर निगम कानपुर का मूल बज़ट वित्तीय वर्ष 2019-20 माननीय कार्यकारिणी के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। कृपया विचारोपरान्त अनुमोदन देने की कृपा की जाये।

धन्यवाद।

नगर निगम कानपुर

आय

(धनराशि लाख में)

Account Code	Account Head	लेखा शीर्षक	लेखा मद	पृष्ठ संख्या	वास्तविक आय 2017–18	मूल / पुनरीक्षित धनराशि 2018–19	वास्तविक आय जनवरी 2014 तक	वास्तविक आय जनवरी 2019 तक	प्रस्तावित धनराशि 2019–20
	Revenue Income		राजस्व आय						
1101	Tax Revenue	1101	करो से आय	3	13285.50	15501.50		8502.18	16801.50
1201	Assigned Revenues & Compensations	1201	कर्तव्यो के आधीन आय	3	0.57	4.00		2.57	4.00
1301	Rental Income from Properties	1301	नगरीय सम्पत्तियों के किराये से आय	3	107.45	170.50		94.50	170.50

ह0.....महापौर

1401	Fees & User Charges	1401	शुल्को से आय	3-4	1094.22	2379.00		1894.46	2549.00
1501	Sale & Hire Charges	1501	बिकी एवं भाडे से आय	5	121.90	227.00		49.47	227.00
1701	Income from Investments	1701	विनियोगो से आय	5	0.00	6.00		0.00	6.00
1801	Income from Interest	1801	ब्याज से आय	5	409.47	405.00		294.52	405.00
1901	Other Income	1901	अन्य आय	5	238.23	462.10		270.10	462.10
1601	Revenue Grants & Contribution	1601	राजस्व अनुदान एवं अंशदान	6	30468.46	31202.00		22071.09	31277.00
	TOTAL -(A)		योग (अ)	**6**	**45725.80**	**50357.10**		**33178.89**	**51902.10**
	Capital Income		पूँजीगत आय	-					
3111	Earmarked Funds	3111	कार्य विशेष निधियाँ	-					
3111	Finance Commission: Forteenth	3111	वित्त आयेाग : चौदहवाँ	6	13292.99	13100.00		5134.80	13100.00
3111	Special Fund: Infrastructure Fund:	3111	अवस्थापना निधि	6	3063.17	4050.00		1106.22	4050.00
3111	Other Earmarked Fund	3111	अन्य कार्यविशेष निधियाँ	6-7	12305.34	14635.50		884.49	3895.00
3301	Secured Loans	3301	सुरक्षित ऋण	7	0.00	4.00		0.00	4.00
3311	Unsecured Loans	3311	असुरक्षित ऋण	7	0.00	3.00		0.00	3.00
	TOTAL -B-		योग (ब)	**7**	**28661.50**	**31792.50**		**7125.51**	**21052.00**
	TOTAL (A+B)		योग (अ+ब)	**7**	**74387.30**	**82149.60**		**40304.41**	**72954.10**
	Reserve Fund (JNNURM)		रिजर्व फण्ड (जे0एन0एन0यू0आर0एम0 / अमृत)						
3311	Unsecured Loans	3311	राज्य सरकार परिकमि निधि ऋण (रिवालविगं फण)	7	0.00	5200.00		0.00	5200.00
3111	JNNURM Scheme	3111	जे.एन.एन.यू.आर.एम / अमृत योजना प्राप्तियाँ	7-8	323.85	37381.60		3680.70	37381.60
	TOTAL -C-		योग (स)	**8**	**323.85**	**42581.60**		**3680.70**	**42581.60**
	Total Revenue, Capital & Reserve Fund Income (A+B+C)		कुल राजस्व, पूँजीगत एवं रिजर्व फण्ड आय (अ+ब+स)	**8**	**74711.14**	**124731.20**		**43985.11**	**115535.70**
4502	Opening Balance	4502	प्रारम्भिक अवशेष:–	8	29372.04	12469.40		36729.81	32732.13
	Grand Total		महायोग	8	104083.19	137200.60		80714.92	148267.83

ह0.....महापौर

व्यय

(धनराशि लाख में)

Account Code	Account Head	लेखा शीर्षक	लेखा मद	पृष्ठ संख्या	वास्तविक व्यय 2017–18	मूल/पुनरीक्षित धनराशि 2018–19	वास्तविक व्यय जनवरी 2014 तक	वास्तविक व्यय जनवरी 2019 तक	प्रस्तावित धनराशि 2019–20
	Revenue Expenses		राजस्व व्यय	-					
2101	Establishment Expenses	2101	अधिष्ठान व्यय	9	36010.85	40420.00		31278.89	40455.00
2201	Administrative Expenses	2201	प्रशासनिक व्यय	9-10	1543.57	2037.00		947.64	2257.00
2301	Operation & Maintenance	2301	अभियन्त्रण एवं अनुरक्षण	10-12	8946.61	10391.00		4320.08	12496.00
2401	Interest & Financial Charge	2401	ब्याज एवं वित्तीय शुल्क	12	399.16	458.00		0.45	458.00
4101	Fixed Assets	4101	स्थाई सम्पत्तियाँ	12-13	293.66	1340.00		106.66	1040.00
	TOTAL -D-		योग (द)	**13**	**47193.86**	**54646.00**		**36653.71**	**56706.00**
	Capital expenses		पूँजीगत व्यय						
3111	Earmarked Fund	3111	कार्य विशेष निधियाँ	-					
3111	Finance Commission: Forteenth	3111	वित्त आयोग : चौदहवाँ	14	7777.48	16500.00		8211.36	16500.00
3111	Infrastructure Fund	3111	अवस्थापना निधि	14	2280.72	4000.00		2300.44	4000.00
3111	Other Earmarked Fund	3111	अन्य कार्यविशेष निधियाँ	14	11732.00	15131.50		1045.23	5516.00
3301	Secured Loans	3301	सुरक्षित ऋण	15	0.00	4.00		0.00	4.00
3311	Unsecured Loans	3311	असुरक्षित ऋण	15	0.00	32.00		0.00	32.00
	Total -E-		योग (य)	15	**21790.21**	**35667.50**		**11557.03**	**26052.00**
	Total -(D+E)		योग (द+य)	**15**	**68984.06**	**90313.50**		**48210.74**	**82758.00**
	Reserve Fund (JNNURM)		रिजर्व फण्ड						

ह0.....महापौर

			(जे0एन0एन0यू0आर0एम0 / अमृत)						
3112	ULB Share transfer (JNNURM)	3112	निकाय अंश हस्तान्तरण	15	0.00	5200.00		0.00	5200.00
4604	JNNURM Scheme Advance	4604	जे.एन.एन.यू.आर.एम / अमृत योजना अग्रिम	15	105.65	37331.60		3725.18	37331.60
	TOTAL -F-		योग (र)	**15**	**105.65**	**42531.60**		**3725.18**	**42531.60**
	Total Revenue, Capital & Reserve Fund Expenses (D+E+F)		कुल राजस्व, पूँजीगत एवं रिजर्व फण्ड व्यय (द+य+र)	**15**	**69089.72**	**132845.10**		**51935.92**	**125289.60**
3401	Less :- Outstanding dues / Suspenses	3401	घटायें :– देयतायें / उचन्त खाते	16	1736.34	0.00		3953.13	0.00
	Net Revenue & Capital Expenses		शुद्व राजस्व, पूँजीगत एवं रिजर्व फण्ड व्यय	**16**	**67353.37**	**132845.10**		**47982.79**	**125289.60**
4502	Closing Balance	4502	अन्तिम अवशेष :–	16	36729.81	4355.50		32732.13	22978.23
	Grand Total		महायोग	**16**	**104083.19**	**137200.60**		**80714.92**	**148267.83**

श्री सुहेल अहमद ने कहा कि इस वर्ष विकास कार्य शून्य रहे है, अतः आगामी वर्ष में ऐसी स्थिति न बने इस पर ध्यान दिया जाये। जो बजट प्रस्तुत किया गया है, यह पूरी तरह से गोलमाल है। नगर निगम में बजट में जिन मदों का प्रयोग नही होता है, उसकी धनराशि कहाँ जाती है, यह पता नही ? पूर्व में हम सभी पार्षदों ने 14वें वित्त आयोग व अवस्थापना निधि के लिये माननीया महापौर जी को अधिकृत किया था, उस पर आज तक क्या कार्यवाही की गई। नगर आयुक्त जी मैं कहना चाहता हूँ कि पार्षदों को कम से कम इतना बजट दे दिया जाये, जिससे उनकों किसी और की ओर न देखना पड़े, सभी वार्डो में एक समान कार्य हो। इस समय हमको ध्यान देना चाहियें कि नगर निगम की सम्पत्तियों या तो कब्जे हो गये है या फिर वह अत्यधिक जर्जर स्थिति में है। मेरा प्रस्ताव है कि उन सम्पत्तियों को खाली कराकर यथा मॉल, मल्टी स्टोरी तथा जर्जर भवनों का निर्माण चौदहवें वित्त आयोग / अवस्थापना निधि से प्राप्त धनराशि से करा दिया जाये, तो नगर निगम को अच्छे राजस्व की प्राप्ति होगी। कानपुर महानगर में भवनों के ऊपर नगर निगम द्वारा जो मनमाना टैक्स लगाया गया है, उसका संशोधन नही किया जा रहा है। इससे भविष्य में कठिनाईयाँ उत्पन्न होंगी। कानपुर महानगर में लगभग एक लाख सम्पत्तियाँ ऐसी है, जो आज तक कर की परिधि से बाहर है। जिस कार्य हेतु कान्हा गौशाला जो विकसित किया जा रहा है, वह कार्य काँजी हाउस में भी किया जा सकता है। गौशाला में जानवरों के चारे की व्यवस्था की जाये।

ह0.....महापौर

नगर आयुक्त ने कहा कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में माननीय सभापति जी के प्रयासों से शासन से जानवरों के चारे हेतु पर्याप्त पैसा प्राप्त हो गया है। हमने कानपुर महानगर में पर्यावरण के दृष्टिगत हरितिमा (हरियाली) बढ़ाने के लिये बजट में विशेष प्राविधान किया है ताकि कानपुर महानगर को भी हरा–भरा बनाया जा सके। सम्पत्ति कर में वृद्धि के अतिरिक्त प्रयास किये जा रहे है। नगर निगम सम्पत्तियों पर निगरानी के साथ–साथ उनके उपयोग के प्रति भी प्रयासरत है।

श्री मो0 अमीम ने कहा कि जब शासन या दिल्ली की कोई टीम शहर आती है तो रात–रात भर ठेकेदारों से कार्य कराया जाता है और साफ सुथरी जगहों का ही निरीक्षण कराया जाता है। इसी प्रकार वार्डो की गलियों पर भी ध्यान दिया जाये। साथ ही यह भी कहा कि अपेक्षित राजस्व वसूली न होने के लिये नगर निगम का राजस्व निरीक्षक दोषी है, क्योंकि नगर निगम हित की अपेक्षा वह अपना हित देखता है।

नगर आयुक्त ने कहा कि जब घर में मेहमान आते है तो विशिष्टता के लिये कुछ विशेष कार्य कराने पड़ते है, उन्हें अच्छा–अच्छा ही दिखाया जाता है। स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत शौचालयों पर विशेष ध्यान दिया गया है। कूड़ा–कचरा से शहर की बदतर स्थिति रही है, इसी परिप्रेक्ष्य में आधुनिक कूड़ा घर तैयार कर समुचित कूड़ा उठान करते हुये सुधार कराया जायेगा। नगर निगम के प्रयास से कानपुर की स्थिति बदली है। मैं कल भारत सरकार की मीटिंग में दिल्ली गया था, तो गंगा के किनारे स्थित होने के कारण कानपुर की चर्चा सबसे ज्यादा हुई। नगर निगम की आय बढ़ाने के उद्देश्य से सभी एक होकर खुले मन से कुछ ऐसा कर जाये कि आगामी वर्षो में कठिनाईयाँ उत्पन्न न हो।

श्री जय प्रकाश पाल ने कहा कि नगर निगम की आय वृद्धि हेतु दिये गये सुझावों पर अमल नही किया जाता है। आज तक न तो वार्डो में वसूली कैम्प लगाये गये और न ही नगर निगम परिसम्पत्तियों का चिन्हांकन कर दुकान/मकान के निर्माण की कोई योजना लाई गई है।

सभापति ने कहा कि कानपुर विकास प्राधिकरण की भाँति यदि हम भी त्वरित रूप से अपनी सम्पत्तियों के कब्जे खाली कराकर उनकों विकसित कर सकते है और उनसे प्रतिमाह किराया वसूल सकते है, इससे नगर निगम की आय में भी बढ़ोत्तरी होगी। इस पर क्षेत्रीय पार्षद का सहयोग लिया जाये।

श्री महेन्द्र पाण्डेय ''पप्पू'' उपसभापति ने कहा कि सभी वार्ड क्षेत्रों के अन्तर्गत आने वाले गेस्ट हाउस, होटल पर टैक्स की वसूली सख्ती से की जाये। क्योंकि कई गेस्ट हाउस व होटल संचालकों द्वारा हमारे राजस्व निरीक्षकों से काफी अभद्रता की जाती है और वह टैक्स भी नही देते है।

श्री अश्वनी चड्ढा ने कहा कि मेरे वार्ड में 2400 मकानों की के0डी0ए0 कालोनी जिसमें 09 किरायेदार है, वहाँ पर नगर निगम द्वारा कुछ लोगो को मकान मालिक दिखाकर टैक्स लिया जा रहा है और कुछ लोगो से टैक्स नही लिया जा रहा है, ऐसा क्यों किया जा रहा है।

जोनल अधिकारी श्री मुनीष कुमार निगम ने कहा कि वर्ष 2002 में प्रश्नगत कालोनी का कर निर्धारण किया गया था, तद्नुसार सामान्य कर लिया जा रहा है।

नगर आयुक्त ने कहा कि हमने इस बार शासन के द्वारा निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष वसूली की जा रही है। 40 प्रतिशत भवन स्वामी, जो हाउस टैक्स देते रहे है, वही वसूला जा सका है। शेष 60 प्रतिशत भवन स्वामियों द्वारा गृहकर नही दिया गया है। इसलिये माननीया महापौर जी की अनुमति से घर–घर जाकर यह जानकारी की जायेगी कि उनके द्वारा गृहकर दिया जा रहा है अथवा नही। कभी–कभी हम लोग अपना पूरा फोकस बड़े बकायेदारों पर करते है, जिससे जो छोटे बकायेदार है, उन पर धीरे–धीरे कई वर्षो का बकाया हो जाता है, जिससे नगर निगम की आय प्रभावित होती है। इसमें यह भी देखा जाये कि कितने लोग स्वयं आकर गृहकर जमा कर रहे है और हमारे राजस्व निरीक्षक क्षेत्र में जाकर कितनी वसूली कर रहे है। सभी जोनल अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वह गृहकर की वसूली एवं गृहकर के सम्बन्ध में आ रही समस्याओं के निस्तारण हेतु प्रत्येक वार्ड क्षेत्र में रोस्टर तैयार कर कैम्प लगाये व बड़े बकायेदारों के सम्बन्ध में क्षेत्रीय पार्षद को भी जानकारी उपलब्ध करायें ताकि वसूली में क्षेत्रीय पार्षदों का भी सहयोग लिया जा सके। गृहकर की वसूली भवन स्वामी से की जानी चाहिये, चूँकि के0डी0ए0 कालोनी है, अतः उसकी देनदारी की एक डिमाण्ड बनाकर के0डी0ए0 को भेजी जाये। जलकल विभाग द्वारा भी ऐसी सभी कालोनियों एवं भवनों से वसूली की जाये।

सभापति ने कहा कि मैं स्वयं एवं अन्य लोग कानपुर महानगर के अन्तर्गत लेबर कालोनियों में निवास कर रहे है तथा नगर निगम की सुविधायें ले रहे है परन्तु वह कहीं भी टैक्स नही दे रहे है। यदि कानपुर महानगर के अन्तर्गत लेबर कालोनियों में निवास कर रहे तो गृहकर की वसूली की जाये इससे नगर निगम को करोड़ो रूपये के राजस्व की प्राप्ति होगी। गृहकर वसूलने में कौन सी कठिनाईयाँ है, इसे दिखवाया जाये तथा इसका निस्तारण शासन स्तर पर कराया जाये।

श्री महेन्द्र पाण्डेय 'पप्पू' उपसभापति ने कहा कि मैं विष्णुपुरी लेबर कालोनी में निवास करता हूँ, वहाँ पर लोगो द्वारा टैक्स जमा किया जा रहा है। लेबर कालोनियों में टैक्स उसी से लिया जाये जो वहाँ निवास कर रहा है।

सभापति ने कहा कि सभी जोनल अधिकारी यह बताये कि उनके अधीनस्थ कितने राजस्व निरीक्षक कार्य कर रहे है और प्रत्येक जोनल कार्यालय में रजिस्टर बनाकर राजस्व निरीक्षकरों द्वारा प्रतिदिन यह दर्ज किया जाये कि वह गृहकर की वसूली हेतु कितने भवनों पर गये और कितने भवनों से उन्हें टैक्स की प्राप्ति हुई। वोटर लिस्ट के आधार पर टैक्स वसूली की जाये, साथ ही तद्नुसार सूचना प्रतिदिन मेरे कार्यालय में उपलब्ध कराई जाये।

श्री मो0 अमीम ने कहा कि मेरे घर का गृहकर पूर्व में रू0 1100/– प्रतिवर्ष आता था, जिसे बढ़ा कर रू0 32000/– प्रतिवर्ष कर दिया गया और उसी के अनुसार मेरे ऊपर लाखों का बकाया निकाल दिया गया, जिस पर मैंने जोनल अधिकारी से कह कर निरीक्षण कराया तो मेरा गृहकर रू0 10000/– प्रतिवर्ष बना। मैं रू0 10000/– प्रतिवर्ष के हिसाब से गृहकर जमा करने का तैयार हूँ किन्तु यह अपने वही रू0 32000/– के हिसाब से गृहकर बना रहे है। जलकल विभाग का एक कर्मचारी जलकर व सीवर कर के टैक्स लेकर तीन दिन तक घूमता रहा और बाद में दबाव बनाये जाने पर उसके द्वारा टैक्स जमा किया गया, यह स्थिति अत्यन्त ही खेदजनक व आपत्तिजनक है।

नगर आयुक्त ने कहा कि हमने पहली बार यह बनवाया है कि कानपुर महानगर के अन्तर्गत कितने भवन स्वामी टैक्स दे रहे है और यह भी देखने में आया है कि अभी हम लिस्टेड लोगो में ही 30 प्रतिशत लोगों के टच में है और यहाँ पर तो अनलिस्टेड लोगो की बात हो रही है। हमने इस बार केस्को से भवन स्वामियो की लिस्ट माँगी है। महानगर में गृहकर की परिधि से छूटे हुये भवनों का निरीक्षण कराया जायेगा। प्रत्येक जोन में यह रजिस्टर बनाते हुये यह सूचना तैयार की जाये की प्रत्येक जोन में तैनात राजस्व निरीक्षण प्रतिदिन कितने घरों पर सम्पर्क करने गये और उनमें से कितने लोगो ने टैक्स दिया और कितने लोगो पर करारोपण की कार्यवाही की जानी है। यह सूचना प्रतिदिन माननीय महापौर जी के कार्यालय में उपलब्ध कराई जाये। महाप्रबन्धक जलकल को निर्देशित किया कि मो0 अमीम की शिकायत का संज्ञान लेते हुये दोषी राजस्व निरीक्षक पर कार्यवाही की जाये।

नगर आयुक्त ने कहा कि तीन दिन तक सरकारी राजस्व खजाने में जमा करने के स्थान पर अपने पास रखना अस्थाई वित्तीय गबन के अन्तर्गत आता है, अतः तत्काल प्रभाव से सम्बन्धित कर्मचारी की एक वेतनवृद्धि रोक दी जाये। माननीय महापौर जी द्वारा भी सभी विभागों को कार्यो हेतु एवं समस्याओं के निस्तारण हेतु पत्र भेजे जाते है, उस पर आप द्वारा की गई कार्यवाही का उत्तर प्रत्येक दशा में माननीय महापौर जी के कार्यालय में उपलब्ध कराया जाये। सभी अधिकारियों को ज्ञात था कि कार्यकारिणी समिति की बैठक है, तो कम से कम माननीय कार्यकारिणी समिति

के सदस्यों की समस्याओं का निराकरण करा दिया जाता तो आप लोगो को आज असहज स्थिति का सामना न करना पड़ता। आज की बैठक में कई सदस्यों द्वारा सीवर की समस्या के सम्बन्ध में अवगत कराया है, सीवर सफाई हेतु क्रय की गई सुपर सकर मशीन क्या कार्य कर रही है ?

श्री आर0के0 सिंह ने अवगत कराया कि वर्तमान में मशीन खड़ी है, डिमाण्ड होने पर सीवर सफाई हेतु वार्डो में भेजी जाती है, किन्तु वहाँ देखने के लिये कोई भी व्यक्ति उपलब्ध नही रहता है, जिससे यह प्रमाणित होने में कठिनाई होती है कि मशीन ने कार्य किया है अथवा नही।

श्री महेन्द्र पाण्डेय ''पप्पू'' ने कहा कि पूर्व में सुपर सकर मशीन का संचालन जलकल विभाग द्वारा किया जाता था, बाद में यह मशीन किन कारणों से नगर निगम को हस्तांतरित कर दी गई, इसकी मुझे जानकारी नही है। यदि उचित समझे तो पूर्व की भाँति सुपर सकर मशीन का संचालन जलकल विभाग से कराये जाने हेतु निर्णय लेने का कष्ट करें।

नगर आयुक्त ने श्री आर0के0सिंह को निर्देशित किया कि आप तत्काल प्रभाव से सुपर सकर मशीन को जलकल विभाग को हस्तांतरित करें तथा महाप्रबन्धक जलकल सीवर की सफाई हेतु सुपर सकर मशीन के संचालन हेतु पर रनिंग मीटर के हिसाब से टेण्डर कराते हुये उसका संचालन करायें।

श्री जय प्रकाश पाल ने कहा कि पिछली कार्यकारिणी समिति की बैठक में महानगर के अन्तर्गत अनाधिकृत रूप से लगी अवैध होर्डिंग्स को हटाये जाने तथा जिन्होंने जितनी साइज के विज्ञापन हेतु शुल्क जमा किया है, उसकी जाँच कराये जाने हेतु प्रत्येक वार्ड में उस वार्ड के पार्षद को सम्मिलित करते हुये निगरानी समिति बनाये जाने का निर्णय लिया गया था, किन्तु आज तक उस पर कोई कार्यवाही नही की गई है। विज्ञापन के नाम पर अनियमितताये बरती जा रही है, विज्ञापन एजेन्सियों द्वारा एक साइड का विज्ञापन शुल्क जमा कर दोनो साइडों पर विज्ञापन लगाया जा रहा है तथा विज्ञापन के साइजों में भी विभागीय मिलीभगत से अनियमितता बरती जा रही है। माननीया सभापति महोदया इसकी जाँच कराई जाये तथा विज्ञापन में हो रही अनियमितताओं को रोकने के लिये क्षेत्रीय पार्षद को सम्मिलित करते हुये वार्डवाइज विज्ञापन निगरानी समिति बनाई जाये।

सभापति ने कहा कि मैंने भी पूर्व की बैठक में निर्देशित किया था कि नगर निगम सीमान्तर्गत जितनी भी होर्डिंग्स लगी हो, उन्हें हटा दिया जाये और सर्वप्रथम यह शुरूआत मेरी होर्डिंग्स को हटाकर की जाये। किन्तु आज तक उस पर कोई कार्यवाही नही की गई है, विज्ञापन में इतनी अनियमितताये है कि मेरे निर्देशों के बावजूद भी इस पर कोई कार्यवाही नही की गई है।

नगर आयुक्त ने निर्देशित किया कि विज्ञापन पटों हेतु क्षेत्रीय पार्षद को सम्मिलित करते हुये निगरानी समिति बनाई जाये।

श्री हाजी सुहेल अहमद ने कहा कि डीजल की खपत बढ़ गई है किन्तु कूड़ा उठान की हालत जस की तस बनी हुई है। मैं और माननीया महापौर जी इत्तिफाकन गंगा बैराज से गुजर रहे थे तो हमने देखा कि वहाँ पर 19 पाइप बिना टेस्टिंग के पड़े हुये थे, जिस पर महापौर जी द्वारा जल निगम को पत्र भी लिखा गया था, उसका कोई भी जवाब आज तक इनके द्वारा नही दिया गया है। यहाँ तक कार्यो की दोषी रैमकी कम्पनी की सिक्योरिटी मनी चार टुकड़ों में जल निगम द्वारा वापस की गई, जबकि पूरा शहर इनके त्रुटिपूर्ण कार्यो की सजा भुगत रहा है।

श्री जौहरी जल निगम ने बताया कि मैं उस दिनांक को अवकाश पर था, मेरा कार्य वहाँ पर तैनात ए0ई0 कादरी व दीक्षित द्वारा देखा जा रहा था, मेरे द्वारा उनको निर्देशित किया गया था कि बिना टेस्टिंग के पाइप न लिये जाये। इसके बावजूद भी पाइप कैसे अन्दर आये, नही मालूम।

सभापति ने कहा कि यह सत्य है कि कानपुर महानगर में जलापूर्ति हेतु जल निगम द्वारा घटिया पाइप डाले गये यदि एक साथ पूरे महानगर में जलापूर्ति कर दी जाये, जो आधा शहर बह जायेगा। इतना ही नही भूमिगत गहरी सीवर पाइप लाइन डालने में कहीं–कहीं गैप छोड़ दिये गये और कहीं–कहीं लाईनों को मुख्य चैम्बर से नही जोड़ा गया है। अमृत योजना के अन्तर्गत जो पार्क चयनित हुये थे, उनमें क्या कार्यवाही चालू हुई है ? नगर आयुक्त अवगत कराये।

नगर आयुक्त ने जल निगम के अभियन्ता को निर्देशित किया कि तत्समय माननीय महापौर जी द्वारा निर्गत पत्र का जवाब प्राथमिकता पर दिया जाये।

श्री आर0के0सिंह ने बताया कि लगभग रू0 10.00 करोड़ की धनराशि से अमृत योजना के अन्तर्गत चयनित पार्को का डी0पी0आर0 तैयार किया जा रहा है, जिसकी माननीय कार्यकारिणी समिति से स्वीकृति प्राप्त की जानी है।

नगर आयुक्त ने निर्देशित किया कि प्रस्ताव तैयार कर उसे शीघ्र पास करवाया जाये। इस योजना में कम से कम 10 पार्को को चयनित कर लिया जाये।

..... **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सभी कार्यकारिणी सदस्यों के वार्ड क्षेत्रों से एक–एक पार्क तथा एक पार्क महापौर जी के निर्देशानुसार इस प्रकार कुल 13 पार्क अमृत योजना के अन्तर्गत विकसित कराये जाने एवं नगर निगम द्वारा कराये जाने वाले कार्यो हेतु आमंत्रित की गई निविदाओं में 10 प्रतिशत से अधिक निम्न निविदादाता की निविदा स्वतः निरस्त माने जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।**

नगर आयुक्त ने कहा कि मार्च के प्रथम सप्ताह में आदर्श आचार संहिता लागू हो जायेगी। सभी अधिशाषी अभियन्ता/जोनल अभियन्ता यह नोट कर लें कि जो भी पत्रावलियाँ अभी लम्बित है, उसे 15.02.2019 तक मुझसे स्वीकृत करा लें।

श्री अश्वनी चड्ढ़ा ने कहा कि मृत्यु प्रमाण पत्र हेतु नगर स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा सम्बन्धित क्षेत्र के जेड0एस0ओ0 को और जेड0एस0ओ0 द्वारा सम्बन्धित सफाई एवं खाद्य निरीक्षक को और सफाई एवं खाद्य निरीक्षक द्वारा सफाई नायक को जाँच किये जाने हेतु दिया जाता है, जिससे मृत्यु प्रमाण–पत्र प्राप्त होने में काफी लम्बा समय लग जाता है और मृतक के परिवार को अनावश्यक रूप से असुविधाओं का सामना करना पड़ता है।

नगर आयुक्त ने नगर स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देशित किया कि अपने स्तर से सभी सम्बन्धितों को आदेशित कर दें कि मृत्यु प्रमाण पत्र से सम्बन्धित जाँच आख्या अधिकतम तीन दिन के अन्दर प्रस्तुत कर दी जाये, जिससे मृतक के परिवार को किसी प्रकार की असुविधा का समाना न करना पड़ें। इस वर्ष नाला–नाली की सफाई हेतु यदि मैन पावर की कमी है तो 28 फरवरी के पूर्व टेण्डर करा दिये जाये ताकि नाला सफाई का कार्य समय से कराया जा सके। इस वर्ष 30 मई तक शत्–प्रतिशत नाले की सफाई की जानी है। यदि जोनवार टेण्डर एक रूपता से कराये जाये तो सभी जोनो की शर्ते एक समान होनी चाहिये। साथ ही कार्यकारिणी समिति से अनुरोध किया कि वित्तीय वर्ष 2019–20 के नगर निगम मूल बजट को स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।

..... **सर्वसम्मति से नगर निगम के वित्तीय वर्ष 2019–20 के मूल बजट में आय के पक्ष में रू0 115535.70 लाख तथा प्रारम्भिक अवशेष रू0 32732.13 लाख इस प्रकार कुल रू0 148267.83 लाख तथा व्यय पक्ष में रू0 125289.60 लाख तथा अन्तिम अवशेष रू0 22978.23 इस प्रकार कुल रू0 148267.83 लाख दर्शायी गई धनराशि को स्वीकृति प्रदान करते हुये सदन को अग्रसारित किया गया।**

तत्पश्चात् नगर आयुक्त ने महाप्रबन्धक जलकल को भी जलकल के वित्तीय वर्ष 2019–20 के मूल बजट से समिति के सदस्यों को अवगत कराने हेतु निर्देशित किया।

निर्देशानुसार महाप्रबन्धक जलकल ने समिति के सदस्यों को अवगत कराते हुये कहा कि जलकल विभाग की राजस्व आय जलकर, सीवर कर एवं न्यनतम प्रभार पर आधारित है। इन मदों में प्राप्त राजस्व आय से ही नगर की जलापूर्ति एवं सीवर व्यवस्था से आच्छादित वार्डो का संचालन व रख–रखाव किया जाता है। प्राप्त राजस्व आय से कर्मचारियों के वेतन/पेंशन का भुगतान कर शेष प्राप्त राजस्व आय को आवश्यक सेवाओं के संचालन एवं रख–रखाव मद पर व्यय किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2019–20 के प्रस्तावित बजट में संचालन आय रू0 131.70 करोड़ का प्राविधान विगत वर्ष के प्राविधान रू0 121.10 करोड़ के विपरीत किया गया है। मदवार आय का विवरण पृष्ठ 3 पर है। संचालन व्यय जिसमें अधिष्ठान व्यय, विद्युत व्यय, रख–रखाव एवं अन्य व्यय सम्मिलित है में, रू0 164.70 करोड़ का प्राविधान किया गया है जो विगत वर्ष रू0 159.45 करोड़ के विपरीत है। संचालन व्यय के अन्तर्गत मदवार प्राविधानित व्यय का विवरण बजट पृष्ठ सं0 4, 5, 6 एवं 7 पर है।

असंचालन आय में विद्युत व्यय की प्रतिपूर्ति प्राप्त राजस्व आय से न हो पाने के कारण विद्युत एवं अन्य व्यय सीमा में पूर्व वर्षो की भाँति शासकीय अनुदान रू0 41.00 करोड़ का प्राविधान किया गया है। असंचालन व्यय के मद में रू0 5.68 करोड़ का प्राविधान इस दृष्टि से किया गया है कि किसी आकस्मिक स्थिति में आवश्यक सेवाओं के संचालन में गतिरोध न आने पाये। बजट में किये गये प्राविधानों का उपयोग प्राप्त राजस्व आय की सीमा में किया जा सकेगा।

वित्तीय वर्ष 2019–20 का मदवार बजट प्रस्ताव कुल आय रू0 172.70 करोड़ एवं व्यय रू0 170.38 करोड़ का स्वकृतार्थ प्रस्तुत है।

जलकल विभाग, नगर निगम, कानपुर

प्रस्तावित वार्षिक बजट वर्ष 2019–20

(रू0 लाख में)

लेखा कोड	क्रम सं0	मद विवरण	वास्तविक आय 2017–18	प्रस्तावित आय 2018–19	वास्तविक आय दिसम्बर, 2018	प्रस्तावित आय 2019–20
	अ–	राजस्व आय –				
1100201		जलकर	5714.80	6700.00	3731.25	7530.00
1501011		आतिरक्त जलमूल्य/न्यूनतम प्रभार	1668.10	2260.00	752.60	2410.00

ह0.....महापौर

1100301		सीवर कर एवं न्यूनतम प्रभार	2116.87	2970.00	1073.08	3050.00
1408002		अन्य प्राप्तियाँ	17.66	30.00	13.72	30.00
1408001		अधिभार	3.31	10.00	0.16	10.00
1401502		नियमितीकरण	10.50	20.00	5.10	20.00
1401401		विकास शुल्क	125.76	120.00	69.80	120.00
		योग राजस्व–	**9657.00**	**12110.00**	**5645.71**	**13170.00**
	ब–	**असंचालन आय –**				
3111301		डिपाजिट कार्य	727.77	500.00	1166.62	500.00
3112301		अनुदान (विद्युत एवं अन्य)	-	3600.00	-	3600.00
		कुल आय –	**10384.77**	**16210.00**	**6812.33**	**17270.00**
3311001	**स–**	**ऋण से प्राप्ति**	-	-	-	-
		योग–(अ+ब+स)	**10384.77**	**16210.00**	**6812.33**	**17270.00**
		प्रारम्भिक अवशेष	6388.35	2675.00	4065.49	2372.00
		महायोग–	**16773.12**	**18885.00**	**10877.82**	**19642.00**

जलकल विभाग, नगर निगम, कानपुर

प्रस्तावित वार्षिक बजट वर्ष 2019–20

(रू0 लाख में)

लेखा कोड	क्रम सं0	मद विवरण	वास्तविक आय 2017–18	प्रस्तावित आय 2018–19	वास्तविक आय दिसम्बर, 2018	प्रस्तावित आय 2019–20
	अ–	**संचालन व्यय –**				
2101001	1	अधिष्ठान व्यय	9132.64	10835.00	6823.17	10405.00
2302001	2	विद्युत एवं ऊर्जा	259.48	3000.00	6.00	3600.00
2303004	3	पूर्तियाँ	351.82	600.00	333.25	700.00
2308007	4	अन्य व्यय	39.47	75.00	42.92	75.00
2305006	5	रख–रखाव व्यय	777.85	1185.00	654.68	1390.00
2208003	6	जनरल टैक्स	301.49	250.00	0.00	300.00
		योग संचालन व्यय–	**10862.75**	**15945.00**	**7860.02**	**16470.00**
	ब–	**असंचालन व्यय –**				

ह0.....महापौर

4104007	1	जल मापक यंत्रों का क्रय	-	2.00	-	2.00
4106001	2	मशीनों तथा यन्त्रों का क्रय	-	20.00	-	20.00
4107001	3	फर्नीचर तथा कम्प्यूटर क्रय	-	10.00	-	10.00
4105001	4	वाहन, ट्रैक्टर, टैंकर क्रय	-	0.00	-	0.00
4102001	5	भवन निर्माण एवं भूमि	-	10.00	-	10.00
4107006	6	आकस्मिक पूँजीगत व्यय	-	6.00	-	6.00
4103101	7	नई नलिकायें बिछाना (जल/सीवर)	-	10.00	-	10.00
4103201	8	ट्यूबवेल/पम्प हाउस	-	0.00	-	0.00
4104003	9	नये पम्पिंग/मोटर पम्प सेट का क्रय	-	10.00	-	10.00
3311001	10	ऋण एवं ब्याज का भुगतान	-	0.00	-	0.00
3111301	11	डिपाजिट कार्य का भुगतान	1844.88	500.00	1195.44	500.00
		योग असंचालन व्यय–	**1844.88**	**568.00**	**1195.44**	**568.00**
		कुल योग (अ ब) व्यय	12707.63	16513.00	9055.46	17038.00
		अन्तिम अवशेष	4065.49	2372.00	1822.36	2604.00
		महायोग	**16773.12**	**18885.00**	**10877.82**	**19642.00**

..... **सर्वसम्मति से जलकल विभाग के वित्तीय वर्ष 2019–20 के मूल बजट के आय पक्ष में रू0 17270.00 लाख एवं प्रारम्भिक अवशेष रू0 2372.00 लाख इस प्रकार कुल रू0 19642.00 लाख तथा व्यय पक्ष में रू0 17038.00 लाख एवं अन्तिम अवशेष रू0 2604.00 लाख इस प्रकार कुल रू0 19642.00 लाख की धनराशि को स्वीकृति प्रदान करते हुये सदन को अग्रसारित किया ।**

सभापति ने पशु चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया कि घरेलू पालतू जानवरों एवं व्यवसायिक कार्य कर रहे चट्टे वालों का सर्वे कराते हुये निम्नानुसार शुल्क के साथ नियमावली तैयार कर अगली कार्यकारिणी समिति की बैठक में प्रस्तुत करें तथा इससे प्राप्त होने वाली आय से काँजी हाउस में बन्द जानवारों की देख–रेख तथा उनके चारे की व्यवस्था में खर्च किया जाये।

क्र.सं.	जानवरों का प्रकार	निर्धारित शुल्क
1	प्रति गाय	रू0 400/–
2	प्रति भैंस	रू0 500/–
3	प्रति घोड़ा	रू0 500/–

4	प्रति सुअर	रू0 200/–
5	प्रति बकरी	रू0 100/–
6	जानवरों के बच्चो पर	रू0 50/–

..... सर्वसम्मति से कानपुर नगर के अवारा पशुओं एवं पालतू पशुओं का सर्वे कराते हुये शुल्क निर्धारण हेतु नियमावली तैयार कर अगली कार्यकारिणी समिति के बैठक में प्रस्तुत करने हेतु पशु चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया गया।

श्री सुहेल अहमद ने कहा कि केस्को द्वारा जो अण्डरग्राउण्ड लाइन डाली जा रही है, वह हमारी स्ट्रीट लाइट में लगे तरों को भी उतार कर अपने साथ ले जा रहे है, यह उचित नही है क्योंकि स्ट्रीट लाइट में लगे तार नगर निगम द्वारा लगाये गये है। अतः इसको गम्भीरतापूर्वक लेते हुये स्ट्रीट लाइटों में लगे तार जो वह ले गये है, उनको केस्को से वापस लिया जाये।

नगर आयुक्त ने मार्गप्रकाश अभियन्ता को निर्देशित किया कि यह स्थिति ठीक नही है, यदि केस्को के कर्मचारी हमारी स्ट्रीट लाईट में लगे तार ले जा रहे है, तो उसे अपने नियंत्रण में लिया जाये।

सभापति ने कहा कि जिन वार्डो में 80–90 सफाई कर्मचारी है, क्या उस क्षेत्र के पार्षद को जानकारी है कि वह सफाई कर्मचारी कार्य कर रहे है या नही ? नगर स्वास्थ्य अधिकारी पहले प्रत्येक वार्ड में 40–40 सफाई कमचारी तैनात कर दें तथा उसके बाद जो सफाई कर्मचारी बचे उनको वार्ड के क्षेत्रफल व आबादी के अनुसार तैनात कर दिया जाये। मैंने पूर्व में भी निर्देशित किया था कि अधिकारियों बंगलो व कार्यालयों में तैनात सफाई कर्मचारियों की सूची तैयार करते हुये उन्हें वार्डो में पदस्थ किया जाये किन्तु आज तक उस पर कोई कार्यवाही नही की गई है। अतः नगर स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालयों एवं अधिकारियों के आवासों पर कार्य कर रहे सफाई कर्मचारियों की सूची तैयार कर अगली कार्यकारिणी समिति की बैठक में प्रस्तुत करे ताकि उन्हें आवश्यकतानुसार वार्डो की सफाई हेतु पदस्थ किया जा सके।

सभापति को माननीय कार्यकारिणी सदस्यों ने प्रस्ताव हस्तगत किये, जिस पर सभापति ने विचार किये जाने हेतु सदस्यों से कहा।

<u>टेबुल प्रस्ताव संख्या –</u>

माननीय विधायक श्री महेश त्रिवेदी द्वारा संस्तुत एवं श्री हाजी सुहेल अहमद द्वारा प्रस्तुत टेबुल प्रस्ताव पर विचार करना :–

विषय :– रतन लाल शर्मा स्टेडियम किदवई नगर को क्रिकेट एकादमी के आवंटन हेतु।

सभापति महोदया, श्री धीरेन्द्र चन्द पुत्र श्री किशन चंद 73–ए हनुमन्त विहार नौबस्ता, कानपुर नगर ने निवेदन किया है कि वह अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी है, देश एवं प्रदेश की प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग कर शहर व प्रदेश का नाम उज्जवल किया है। इनकी इच्छा है कि नगर एवं प्रदेश के खिलाड़ियों को प्रशिक्षित कर प्रदेश एवं राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं हेतु तैयार कर सके। इन्होंने रतन लाल शर्मा स्टेडियम में क्रिकेट अकादमी चलाने का अनुरोध किया है।

अतः उक्त के परिप्रेक्ष्य में मैं रतन लाल शर्मा स्टेडियम में श्री धीरेन्द्र चन्द्र को क्रिकेट अकादमी चलाने की संस्तुति के साथ विचार–विमर्श करने हेतु सभी सदस्यों से अनुरोध करता हूँ।

..... रतन लाल शर्मा स्टेडियम किदवई नगर को क्रिकेट एकादमी के आवंटन हेतु नगर निगम की नियमों एवं शर्तो का उल्लेख करते हुये अगली कार्यकारिणी समिति की बैठक में प्रस्तुत करने के लिये नगर आयुक्त को निर्देशित किया गया।

टेबुल प्रस्ताव संख्या –

श्री हरी शंकर गुप्ता द्वारा प्रस्तुत एवं अन्य द्वारा संस्तुत टेबुल प्रस्ताव पर विचार करना :–

विषय :– जल दोहन को रोकने के सम्बन्धित कार्यकारिणी में प्रस्ताव पारित करने के सम्बन्ध में ।

महोदया,

सादर अवगत कराना है कि कानपुर नगर में जनता द्वारा अवैध रूप से सबमर्सिबल पम्प लगाकर जल दोहन किया जा रहा है। साथ–साथ सार्वजनिक हैण्डपम्पों में मोटर डालकर जल दोहन किया जा रहा है और अवैध रूप से लोग गाड़ियों को धोने एवं साफ करने में पानी की अत्यधिक बर्बादी कर रहे है। जिसकी रोकथाम का कोई नियम कठोर रूप से लागू नही हो रहा है। अगर ऐसा चलता रहा तो आने वाली पीढ़ी बिन पानी जीवित नही रह पायेगी। अतः जनहित को ध्यान में रखकर नगर निगम जल संस्थान को कठोर कार्यवाही हेतु कार्यकारिणी में प्रस्ताव पास कर कठोरता से लागू किया जाये।

सभापति ने इसी परिप्रेक्ष्य में अनुसार कानपुर नगर निगम सीमान्तर्गत जितने भवन स्वामियों द्वारा अपने घर में सबमर्सिबल पम्प लगा रखा है उस पर भी टैक्स लगाया जाये।

..... **सर्वसम्मति से भूगर्भ जल संरक्षण तथा जल उपभोग (घरेलू एवं व्यवसायिक) विषयक नियमावली तैयार कर अगली कार्यकारिणी समिति की बैठक में प्रस्तुत करने के लिये महाप्रबन्धक जलकल को निर्देशित किया गया।**

अन्त में सभापति ने आज दिनांक 14.02.2019 को सम्पन्न हुई कार्यकारिणी समिति की बैठक की कार्यवाही की पुष्टि हेतु अपना–अपना अभिमत व्यक्त करने हेतु कहा।

..... सभी सदस्यों द्वारा आज दिनांक 14.02.2019 को सम्पन्न हुई कार्यकारिणी समिति की बैठक की कार्यवाही की पुष्टि की गई।

इसी के साथ बैठक का समापन हुआ।

ह0.....

(प्रमिला पाण्डेय)
माहपौर / सभापति